न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2016

अपीलांट

मूलसिंह पुत्र राणसिंह जी जाति राजपुरोहित उम्र 60 वर्ष निवासी वणदार तहसील रानी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. न्रपतसिंह पुत्र रूपसिंह जी उम्र 30 वर्ष
2. अर्जुनसिंह पुत्र रूपसिंह जी उम्र 25 वर्ष
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जी उम्र 22 वर्ष
4. हवाकंवर धर्मपत्नी स्व. रूपसिंह जी उम्र 47 वर्ष जातिगण राजपुरोहित निवासीगण वणदार तहसील रानी।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2013(55/06) बउनवान मूलसिंह बनाम नरपतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम वणदार के खसरा नंबर 714 से 717 व 721 के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पूर्व में उपखंड अधिकारी देसूरी के न्यायालय में पेश किया था, जो कि बाद में उपखंड अधिकारी रानी नया कोर्ट सृजित होने से उक्त न्यायालय में अन्तरित किया गया। इस प्रकार रानी स्थित न्यायालय मे मुकदमा दर्ज होने पर नये वाद संख्या 37/13 पर दर्ज किया गया। पूर्व में वाद संख्या 55/06 थ। अपीलांट पिछले तीन माह से परिवार सहित कोयम्बटूर अपने पुत्र के पास था। अपीलांट के घर कोई नहीं है, मकान बंद है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर रेस्पोडेन्ट ने तामिल कुनिन्दा से मिलावाट करते हुए यह लिख दिया कि अपीलांट स्वंय मिला और लेने से मना किया, जबकि 16.05.2016 को अपीलांट ग्राम वणदार में नहीं था, बल्कि कोयम्बटूर था। ऐसी स्थिति में मे तामिल कुनिन्दा की मिलावाटी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट ने की अनुपस्थिति लिखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। अपीलांट का वाद 2006 से लम्बित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रकरण को निर्णीत करने के उद् य से ही अवैध रूप से अपीलांट की अनुपस्थित दर्ज करते हुए लोक अदालत कैम्प मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया जबकि लोक अदालत कैम्प में केवल मात्र आपसी समझौते वाले प्रकरण निर्णीत किये जाने का प्रावधान है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम वणदार के खसरा नंबर 714 से 717 व 721 के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलांट के घर पर नहीं मिलने एवं आबाद मकान पर चस्पा पर रिपोर्ट के साथ नोटिस प्राप्त हुआ, उक्त नोटिस पर दो मौतबिरान के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने वाद प्रस्तुत किया एवं उसके बावजूद जानबूझकर न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम वणदार के खसरा नंबर 714 से 717 व 721 के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा कर उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 37/2013(55/06) बउनवान मूलसिंह बनाम नरपतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली